

4/1/21

पत्र त्वली आज प्राची व वकील प्राची
द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी
में ली गई। वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
कर बाद को विद्वो के आधार पर खारिज
फरमाने का निवेदन किया है। प्रार्थना
पत्र प्राची स्वीकार कर बाद वादी विद्वो
में खारिज किया गया है। प्राची ने

Shivraj
Identified by
Anul
4/01/2021




दिनांक
आज्ञा या
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष

नियंत्रण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र भी खारिज करने का निर्देश किया है। चूंकि मूल बंद विज्ञापन में खारिज किया जा चुका है व प्रार्थी अस्थाई ^{निषेधाज्ञा} प्रार्थना पत्र 22 RTI विज्ञापन में खारिज किया जाने का निर्देश किया है। अ प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा व दिनांक 24/12/2020 का जारी भौदरा खारिज किए जाते हैं। भौदरा खुले न्यायालय में पुनर्मात्रा माग। पत्रावली नैर्वाच्य शुभारंभिक नम्बर है कम लेख दाखिल इफ्तार है


उपरखण्ड अधिकारी
साँभर लोक (जयपुर)